न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या- 34/2025

वादीगण :-

1. किशनाराम पुत्र पन्नाराम
2. मनोहरलाल पुत्र ओमप्रकाश
3. संतोष पत्नी ओमप्रकाश
4. दुर्गा पुत्री ओमप्रकाश
5. किरण पुत्री ओमप्रकाश जातियान खारडिया सीरवी निवासी चोयलों का अरट बिजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. जगदीशचन्द पुत्र छोटूराम
2. बाबुलाल पुत्र छोटूराम
3. जमकुदेवी पत्नी छोटूराम
4. नारायणराम पुत्र कालूराम
5. पुनाराम पुत्र कालूराम जातियान खारडिया सीरवी निवासी चोयलों का अरट बिजवाडिया रोड, बिलाडा तहसील बिलाडा जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–वादीगण – श्री नरपतसिंह सोलंकी, एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 से 5– श्री पारसमल पटेल एडवोकेट।

निर्णय **दिनांकः-** 16/03/26

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा बिलाडा चक 1 द्वितीय में वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर सं. 4544 रकबा 0.0809 हेक्टयर किस्म चाही प्रथम स्थित है। सबूत के रूप में जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 308 की पेश है। कस्बा बिलाड़ा चक 1 द्वितीय में प्रतिवादी सं. 1 से 3 की खातेदारी की भूमि खसरा सं. 4545 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम स्थित है। सबूत के रूप में जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 372 की पेश है। कस्बा बिलाड़ा चक 1 द्वितीय में प्रतिवादी सं. 4 व 5 की खातेदारी की भूमि खसरा सं. 4543 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम स्थित है। सबूत के रूप में जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 294 की पेश है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण बिलाड़ा के मूल निवासी है तथा एक ही परिवार के सदस्य है। वाद के पद सं. 1 से 3 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम से होने एवं एक ही परिवार की होने से तथा क्षेत्रफल भी समान होने से पूर्वजों को जानकारी के अभाव में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज अनुसार मौके पर काबिज नहीं होकर एक दूसरे के खसरा भूमि पर काबिज होकर उपयोग व

उपभोग करते रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को पीढ़ियों से राजस्व रेकर्ड में मौका स्थिति अनुसार अन्तर होने का ज्ञान नहीं था। वादीगण एवं प्रतिवादीगण पूर्वजो के कब्जा अनुसार ही उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादीगण ने अपने-अपने कब्जासुद व उपयोग व उपभोग की भूमि में मकान का निर्माण भी करवा लिया गया। वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड नक्शा व जमाबन्दी प्राप्त करने पर व देखने पर जानकारी में आया कि वादीगण के खातेदारी खेत खसरा सं. 4544 पर मौके पर प्रतिवादी सं. 4 व 5 का कब्जा व मकान उपयोग व उपभोग में स्थित है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 से 3 के खातेदारी खेत खसरा सं. 4545 पर मौके पर वादीगण का कब्जा, उपयोग व उपभोग में स्थित है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 4 व 5 के खातेदारी खेत खसरा सं. 4543 पर मौके पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 का कब्जा, मकान उपयोग व उपभोग में स्थित है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को खातेदारी भूमि पर राजस्व रेकर्ड अनुसार मौके पर उपयोग व उपभोग नहीं होने का बताया। तब प्रतिवादीगण ने वादीगण की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व नक्शे की स्थिति सभी खसरान की अलग-अलग बताई, तब प्रतिवादीगण के जानकारी में आया। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व नक्शे अनुसार कब्जा सुपुर्द करने या राजस्व रेकर्ड में मौके अनुसार तहसील कार्यालय चलकर खातेदारी अधिकारों में सुधार कराने का कहने पर टालमटोल करने लगे एवं बहानाबाजी करते रहे। वादीगण द्वारा बार-बार राजस्व रेकर्ड में सुधार करवाने या राजस्व रेकर्ड अनुसार कब्जा अदला-बदली कर मौके की स्थिति राजस्व रेकर्ड अनुसार करने का कहने पर प्रतिवादीगण ने दिनांक 27-02-2025 को ऐलानिया मना कर दिया। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा सं. 4544 को राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रतिवादी सं. 4 व 5 से कब्जा प्राप्त करने या खसरा सं. 4545 में मौके पर स्थित कब्जे अनुसार प्रतिवादी सं. 1 से 3 से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 अपनी खातेदारी भूमि खसरा सं. 4545 को राजस्व रेकर्ड अनुसार वादीगण से कब्जा प्राप्त करने या खसरा नं. 4543 में मौके पर स्थित कब्जे अनुसार प्रतिवादी सं. 4 व 5 से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 4 व 5 अपनी खातेदारी भूमि खसरा सं. 4543 को राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रतिवादी सं. 1 से 3 से कब्जा प्राप्त करने या खसरा सं. 4544 में मौके पर स्थित कब्जे अनुसार वादीगण से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। प्रतिवादीगण को अपनी राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदारी भूमि रखने या कब्जा अनुसार एक दूसरे से खातेदारी अधिकार प्राप्त करना ही मात्र एक विकल्प है। लेकिन प्रतिवादीगण वादीगण को राजस्व रेकर्ड अनुसार न तो कब्जा सुपुर्द करने को तैयार है तथा न ही वादीगण के कब्जा व उपयोग व उपभोग की भूमि का खातेदारी अधिकार देने को तैयार है। ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिये वादीगण की ओर से वाद बाबत् कब्जा अनुसार खातेदारी घोषणा का पेश है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सभी अपनी-अपनी राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदारी भूमि पर काबिज नहीं होकर एक-दूसरे की भूमि पर काबिज है। परन्तु प्रतिवादीगण वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि का न तो कब्जा सुपुर्द करना चाहते है एवं न ही राजस्व रेकर्ड में सुधार करवाना चाहते है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि प्रतिवादीगण की इच्छानुसार कब्जा आदान प्रदान करने या खातेदारी अधिकारों का

प्रदान करने को तैयार है। परन्तु प्रतिवादीगण ऐसा करने को तैयार नहीं होकर ऐलानिया झगड़ा करने पर आमादा है। ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज अनुसार खातेदारी अधिकारों में सुधार करवाने को तैयार नहीं होने की स्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपनी-अपनी खातेदारी भूमि का राजस्व रेकर्ड अनुसार मौके पर कब्जा प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है। इसलिये वाद बाबत् राजस्व रेकर्ड अनुसार कब्जा प्राप्ति का पेश है। वाद कारण दिनांक 27-02-2025 को वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज अनुसार तहसील कार्यालय में चलकर खातेदारी इन्द्राज करवाने या राजस्व रेकर्ड अनुसार मौके पर कब्जा व उपयोग व उपभोग का अदला बदली कर कब्जा सुपुर्द करने से एलानिया मना करने पर कस्बा बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा में उत्पन्न हुआ जो लगातार जारी है।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वाद के पद सं. 2 में वर्णित भूमि खसरा सं. 4545 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म चाही भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी प्रकार वाद के पद सं. 1 में वर्णित भूमि खसरा सं. 4544 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म चाही भूमि का प्रतिवादी सं. 4 व 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी प्रकार वाद के पद सं. 3 में वर्णित भूमि खसरा सं. 4543 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म चाही भूमि का प्रतिवादी सं. 1 से 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाया जावे। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वाद के पद सं. 1 में वर्णित भूमि खसरा सं. 4544 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म चाही भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 4 व 5 से वादीगण को दिलाया जावे। इसी प्रकार वाद के पद सं. 2 में वर्णित भूमि खसरा सं. 4545 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म चाही भूमि का कब्जा वादीगण से प्रतिवादी सं. 1 से 3 सुपुर्द करवाया जावे तथा इसी प्रकार वाद के पद सं. 3 में वर्णित भूमि खसरा सं. 4543 रकबा 0.0809 हैक्टयर किस्म चाही भूमि का प्रतिवादी सं. 1 से 3 से प्रतिवादी सं. 4 व 5 को कब्जा सुपुर्द करवाया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर श्री पारसमल पटेल अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 4544 राजस्व रेकर्ड मे वादीगण के नाम से दर्ज है मगर मौके पर खसरा नम्बर 4544 घर वर्तमान में कब्जा प्रतिवादी संख्या 04 व 06 का है। उक्त खसरा नम्बर 4844 में प्रतिवादी संख्या 04 नारायणराम व प्रतिवादी संख्या 05 पुनाराम के मकानात बने हुए है। जो सही है। वाद का पद संख्या 02 दो मे दर्ज खसरा नम्बर 4545 की भूमि का राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 जगदीशचन्द, प्रतिवादी संख्या 02 बाबुलाल, व प्रतिवादी संख्या 03 जमकुदेवी के नाम से खातेदारी दर्ज है मगर वर्तमान मे उक्त खसरा नम्बर 4545 में मौके पर कब्जा वादीगण का चला आ रहा है जिसमे वादीगण के मकानात आदि बने हुए है। जो सही है। मगर उक्त खसरा नम्बर 4545 पर प्रतिवादी संख्या 01 एक जगदीश के द्वारा येश बैंक लि. शाखा बिलाड़ा में तथा प्रतिवादी संख्या 02 बाबुलाल के द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा

बिलाड़ा मे रहन रख कर ऋण ले रखा है जो प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ऋण राशि को जमा करवाने के लिये तैयार है। वाद का पद संख्या 03 में दर्ज खसरा नम्बर 4543 प्रतिवादी संख्या 04 नारायणराम व प्रतिवादी संख्या 05 पुनाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है । मगर मौके पर उक्त खसरा नम्बर 4543 में वर्तमान में कब्जा प्रतिवादी संख्या 01 जगदीशचन्द, प्रतिवादी संख्या 02 बाबुलाल, व प्रतिवादी संख्या 03 जमकुदेवी काबिज है एवं मकानात आदि बने हुए है। जो सही है। उक्त खसरा नम्बर 4543 प्रतिवादी नारायणराम व पुनाराम के नाम की दर्ज होने के बाद प्रतिवादी संख्या 04 नारायणराम ने भूमि विकास बैंक शाखा बिलाड़ा मे रहन रख कर ऋण ले लिया है। जो नारायणराम के द्वारा लिये गये ऋण राशि को बैंक मे जमा करवाई जावे । वादीगण ने प्रतिवादीगण को कभी भी एक दूसरे की भूमि पर काबिज होने एवं अपने अपने नाम से दर्ज करवाने हेतु कभी भी नही कहा गया है। उल्टा वादीगण स्वयं शामलाती रास्ता जो बेरे से वादीगण व प्रतिवादीगण के खेतों मे जाता है जिसको वादीगण ने अपनी खातेदारी की भूमि में भूमि के बदले दी गई भूमि रास्ता को रोक दिया है जिससे प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 की भूमि लास्ट मे पड़ती है जहां पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की भूमि बिना बुवाई के मौके पर पड़ी है। जो वादीगण के द्वारा रोका गया उनकी खातेदारी की भूमि मे भूमि के बदले दी गई भूमि रास्ता को खुला करवाया जाकर 12 फुट रास्ता मौके पर कायम करने हेतु वादीगण को बार बार कहा गया था वादीगण सहमत नही होने के कारण उक्त खसरो की भूमि एक दूसरे के नाम कब्जा अनुसार दर्ज नहीं करवा सके । वादीगण ने खेतो मे आने जाने के रास्ते को अपनी खातेदारी की भूमि के पास बन्द कर दिया है जिसको खुलवाया जावे । रास्ता खुला करवाया जाने के बाद वाद के पद संख्या 01 से 03 में वर्णित खसरो की भूमि का मौके पर काबिज अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाया जाने का आदेश फरमावे । प्रतिवादी ने कभी वाद के पद संख्या 01 से 03 में वर्णित भूमि को एक दूसरे के नाम से करवाने बाबत मना नही किया है। मना तो वादीगण ने रास्ता खोलने से मना किया है। जो वादीगण खेतो मे आने जाने के रास्ते को नहीं खोल कर वाद में वर्णित भूमि बाबत गलत दर्शा कर झूठा वाद पेश किया है। इस प्रकार वादीगण स्वयं रास्ता भी नही खोलते है एक दूसरे की भूमि को नाम करवाने से मना कर चुके है एवं चुपके चुपके वादीगण ने उक्त वाद गलत एवं भ्रामक तथ्य उजागर कर झूठा वाद पेश किया है। प्रतिवादीगण ने एक दूसरे के कब्जा में कभी भी बेदखल करने की धमकीया नही दी है। वादीगण रास्ता नही खोल कर प्रतिवादी को तंग व परेशान करने की नियत से झूठा वाद पेश किया है। वादीगण ने प्रतिवादी का एक मात्र रास्ता फरवरी मे रोक दिया था जिसको गांव के मौजीज लोगों के द्वारा समझाईस करवाई गई कि रास्ता अभी फसल खड़ी है बाद में अप्रेल मई माह के रास्ता चौड़ा करवा कर खुला करवा देगे। मगर वादीगण ने ऐसा नही करके गुपचुप तरीके से झूठा वाद सही बात को छुपा कर पेश किया है। तथा रास्ते की बात को बिल्कुल छुपा दिया है। प्रतिवादीगण ने भूमि के बदले दी गई भूमि रास्ता खोलने व रास्ते के आवागमन में बाधा नही पहुंचाने बाबत ओलबा दिया तो वादीगण ने प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नियत से रास्ता नही खोलने की नियत से सही तथ्यो को छुपा कर उक्त वाद पेश किया है। जबकि प्रतिवादीगण ने कभी भी कब्जे अनुसार खसरो की भूमि दर्ज करवाने बाबत मना नहीं किया है मना तो वादीगणो ने ही किया है व

आज भी वादीगण रास्ता खोलने को तैयार/सहमत नही है। उक्त तारीख 27.02.2025 को वादीगण ने प्रतिवादीगण का रास्ता रोका है प्रतिवादीगण ने वादीगण को उनके कब्जे से बेदखल करने की कभी भी धमकीया नही दी है। धमकीया तो वादीगणो ने ही रास्ता नही खोलने बाबत दी है वादीगण को किसी भी प्रकार से वाद कारण पैदा नही होता है तथा आज भी वाद कारण वादीगण को नही हो रहा है वाद कारण तो प्रतिवादीगण को पैदा हो रहा है प्रतिवादीगण का रास्ता बन्द पड़ा है। इसलिये वादीगण का वाद काबिल खारीज के है। वाद के पद संख्या 02 मे वर्णित खसरा नम्बर 4545 रकबा 0.0809 हैक्टेयर भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे साथ ही खसरा नम्बर 4544 रकबा 0. 0809 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी संख्या 04 व 05 को काश्तकार घोषित किया जावे एवं खसरा नम्बर 4543 रकबा 0.0809 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 से 03 तीन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तो उसमे प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 04 के द्वारा लिये गये भूमि विकास बैंक से खसरा नम्बर 4543 को रहन रख कर ऋण लिया गया है उस ऋण राशि का चुकारा प्रतिवादी संख्या 04 नारायणराम से करवाई जावे । तथा प्रतिवादी संख्या 01 जगदीश व प्रतिवादी संख्या 02 बाबुलाल अपनी भूमि पर लिये गये ऋण राशि का चुकारा करने को तैयार है। प्रतिवादीगण द्वारा काउण्टर वाद पेश किया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण कस्बा बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राजस्थान के मूल निवासी है तथा एक ही बेरे के रहने वाले है एवं एक ही जाति के सदस्य है तथा आपस मे बेरे के सीरवाली है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी की भूमि कस्बा बिलाड़ा में बेरा चोयलो का अरट चक-1 द्वितीय में स्थित है कस्बा बिलाड़ा चक-1 द्वितीय की सरहद मे प्रतिवादीगण संख्या 01 एक से 03 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 4574, 4583, 4582 आयी हुई है जो उक्त भूमि मे आने जाने का एक मात्र रास्ता वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 4569, 4575, 4582 के बीच मे रास्ते की भूमि के बदले दी गई भूमि रास्ता से होकर वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमियो के सहारे सहारे पीढियो से चलता आ रहा है जिसका उपयोग वादीगण एवं प्रतिवादीगण बिना रोक टोक के करते आ रहे है। जिसको अभी हाल ही में दिनांक 27.02.2025 को वादीगण ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा 4569 में स्थित रास्ता जो भूमि के बदले भूमि देकर वादीगण से लिया गया रास्ता वादीगण ने रोक दिया है जिससे प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 4574, 4583, 4582 जो अन्तिम छोर पर स्थित होने के कारण साधन न तो आ सकते है एवं न ही जा सकते है मौके पर रास्ता कायम करावे । प्रतिवादीगण ने वादीगण को बेरा चोयलो का अरट से अपने अपने खेतो मे आने जाने के रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे तरमीम करने एवं मौके पर 12 फुट करने हेतु दिनांक 27.02.2025 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को कहा मगर वादीगण ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 4569 मे रास्ता खुला करने के बजाय उसको बन्द कर दिया जिसमे नगरपालिका बिलाड़ा के द्वारा मुड डाला हुआ है जिसको वादीगण ने रोक दिया है जबकि प्रतिवादीगणो की भूमि मे से रास्ता मौके पर छोड़ा हुआ है तथा वादीगण के द्वारा रास्ते की भूमि के बदले भूमि दी जा चुका है बावजूद वादीगण की नियत मे खोट आ जाने के कारण रास्ता नही देने की नियत से रास्ता वादीगण अपनी भूमि खसरा नम्बर 4569 मे रोक दिया है एवं मौके पर फाटक लगा दी

है जिससे प्रतिवादीगण आगे अपने खेत मे न तो साधन ले जा सकता है एवं न ही आ जा सकता है। इस कारण प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 4574, 4583, 4582 मौके पर बिना बुवाई के पड़ी है। काउण्टर वाद विरूद्ध वादीगण वादीगण के द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 4569 मे रास्ता मे फाटक लगा कर बन्द कर दिया गया है जिसको खुलवाने हेतु समाजिक स्तर पर दिनांक 27.02.2025 को बहुत प्रयास किया गया है बावजूद वादीगण के द्वारा रास्ता को नही खोला गया है एवं वादीगणो ने प्रतिवादीगण को एलानिया धमकीया दी कि यदि फाटक खोली दी एवं आवागमन कर दिया या साधन ले गये या साधन लेकर आ गये। इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को काउण्टरवाद विरुद्धवादी पैदा हुआ है जो आज भी हो रहा है। पूर्वजों से काम किये गये रास्ते को खोलने एवं फाटक को हटाने बास्त प्रतिवादीगण के द्वारा व समाज के मौजीज लोगों के द्वारा समाईस करने के बावजूद रासो से फाटक नहीं हटाने एवं नगरपालिका बिलाड़ा के द्वारा काले गये मुडिया रास्ता को राजस्व रेकर्ड में तरमीम करवाने बाचत वादीगण को बार बार कहा गया है मगर वादीगण इसके लिये न तो रास्ता तरमीम करने देते है एवं न ही प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 को उनकी भूमि में जाने देते है। इसलिये रास्ता को खुला करवाया जावे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के मकान खसरा नम्बर 4543 में बने हुए है उक्त खसरा की भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम से खातेदारी दर्ज की जाये।

अतः जवाब दावा मय काउण्टर वाद पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का काउण्टर वाद स्वीकार कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खेतो से आने जाने का रास्ता जो मौके पर वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 4569 में भूमि के बदले भूमि देकर कदीमी रास्ता चल रहा है उसको वादीगण के द्वारा अपनी भूमि खसरा नम्बर 4569 मे रोक कर वहां पर फाटक लगाई गई है उसको हटाया जावे साथ ही वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा चाही गई इस्तदुआ को स्वीकार कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमियो को नाम से दर्ज करने का आदेश फरमावे ।

वादीगण व प्रतिवादीगण की ओर दिनांक 19.01.2026 को राजीनामा प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त प्रकरण के वाद में कस्बे के मौजिज लोगो ने आपस में मिल बैठकर राजीनामा करवा दिया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अब कोई विवाद नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में नजदीकी परिवार के ही सदस्य है। वादीगण मौके पर खसरा नं. 4545 प्रतिवादी सं. 4 व 5 खसरा सं. 4544 व प्रतिवादी सं. 1 से 3 खसरा सं. 4543 पर वर्षो पूर्व बंटवाड़ा अनुसार काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। राजीनामा हो जाने से आपस में किसी प्रकार का विवाद विद्यमान नहीं रहा है। इसलिये राजीनामा अनुसार कस्बा बिलाड़ा चक 1 द्वितीय में स्थित भूमि खसरा सं. 4545 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म चाही भूमि का वादीगण के हिस्से में रखी गई। इसी प्रकार कस्बा बिलाड़ा चक द्वितीय में स्थित भूमि खसरा सं. 4544 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म चाही भूमि का प्रतिवादी सं. 4 व 5 के हिस्से में रखी गई तथा कस्बा बिलाड़ा चक 1 द्वितीय में स्थित भूमि खसरा सं. 4543 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म चाही भूमि का प्रतिवादी सं. 1 से

3 के हिस्से में रखी गई। इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को अपने-अपने भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाया राजीनामा अनुसार करवाया जाना है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी समझाईश से किये गये राजीनामा को तस्दीक करवाकर वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाये जाने का आदेश प्रदान करावे

पत्रावली में प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, पुनः वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित दोनो ही पक्षों को राजीनामा पढकर सुनाया गया, दोनो ही पक्षों ने राजीनामा सही होना स्वीकार किया। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता नरपतसिंह सोलंकी द्वारा दी गयी तथा प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता पारसमल पटेल द्वार की गई। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया एवं कोर्ट की भावना से उक्त राजीनामें के आधार पर वाद को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को पूर्व में तस्दीक किया गया। पत्रावली में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही। दोनो पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादीगण का दावा स्वीकार किये जाने योग्य होने से वादीगण का दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार राजीनामा के अनुसार राजस्व ग्राम बिलाडा चक 1 द्वितीय में स्थित खसरा नंबर 4545 रकबा 0.0809 हैक्टयर वादीगण के हिस्से में तथा खसरा नंबर 4544 रकबा 0.0809 हैक्टयर की भूमि प्रतिवादी सं. 4 व 5 के हिस्से में तथा खसरा नंबर 4543 रकबा 0.0809 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 3 के हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। राजीनामा को निर्णय का हिस्सा पढा जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 16/03/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादीगण :- किशनाराम

बनाम

प्रतिवादीगण :- जगदीशचन्द वगैरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् खातेदारी घोषणा हेतु

राजस्व वाद संख्या :- 34/2025

निर्णय दिनांक :- 16/03/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरपतसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से श्री पारसमल पटेल अधिवक्ता, प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार राजीनामा के अनुसार राजस्व ग्राम बिलाडा चक 1 द्वितीय में स्थित खसरा नंबर 4545 रकबा 0.0809 हैक्टयर वादीगण के हिस्से में तथा खसरा नंबर 4544 रकबा 0.0809 हैक्टयर की भूमि प्रतिवादी सं. 4 व 5 के हिस्स में तथा खसरा नंबर 4543 रकबा 0.0809 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 3 के हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। राजीनामा को निर्णय का हिस्सा पढा जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज को जारी की गई।

तारीख मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा